अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा–सह–अध्यक्ष, अनुमंडल अनुश्रवण समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक–30.05.2015 को आयोजित अनुमंडल अनुश्रवण समिति के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम आज दिनांक 30.05.2015 को 11:00 बजे पूर्वाहन से अनुमंडल कार्यालय में आयोजित अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष द्वारा गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई गई।

1. गैस एर्जेसी–

आज की बैठक में अध्यक्ष द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि के साथ गैस वितरण योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में सभी एर्जेसी को घरेलू एवं कॉमर्शियल गैस वितरण का प्रतिवेदन ससमय समर्पित करने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा सभी एर्जेसियों से गैस कालाबाजारी के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तुरंत सूचना देने का निदेश दिया गया, ताकि उस पर त्वरित गति से कार्रवाई की जा सके।

अध्यक्ष द्वारा कॉमर्शियल गैस के वितरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर कॉर्मशियल गैस वितरण में बढ़ोतरी करने का निदेश दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्र0आ0पदा0 को स्थलीय जांच कर अवैध गैस उपयोग करने वाले के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा सुझाव दिया गया कि घरेलू गैस बिक्री ठेला पर कुछ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी भेंडर लेकर चले ताकि आवश्यकता के अनुरूप उसकी बिक्री हो सके।

अध्यक्ष द्वारा सभी एजेन्सी को गैस सिलेंडर वितरण कार्य में प्रतिनियुक्त हॉकर को वर्दी में रहकर गैस वितरण का निदेश दिया गया। बैठक में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा शिकायत की गई कि गैस ठेला भेंडर बर्दी में रहकर गैस बिक्री नहीं करते हैं। एर्जेसी से इस संबंध में पृच्छा करने पर बतलाया गया कि गर्मी की वजह से भेंडर वर्दी खोलकर गैस बिक्री करते हैं। अध्यक्ष द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया गया कि सभी गैस ठेला भेंडर वर्दी में रहकर ही गैस वितरण किया करे अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

2. सामाजिक/आर्थिक जनगणना के आधार पर राशन कार्ड वितरण/खाद्यान्न से संबंधित एवं अन्यान्यः–

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्र0आ0पदा0 से खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गयी। सभी प्र0आ0पदा0 द्वारा बतलाया गया कि अप्रैल 2015 माह का उठाव वितरण समाप्त हो चुका है। मई 2015 माह का अनाज का वितरण समाप्ति पर है। जून 2015 माह का खाद्यान्न हेतु राशि जमा की जा रही है। अध्यक्ष द्वारा तीन दिनों के अन्दर माह जून 2015 के खाद्यान्न उठाव हेतु अवशेष विक्रेता से राशि जमा करवाने का सभी प्र0आ0पदा0 को निदेश दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा माह मई तक के अनुमंडल में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

सदस्यों के मांग पर अध्यक्ष द्वारा सभी प्र0आ0पदा0 को अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत दुकान के सतत् निरीक्षण एवं विक्रेता के भंडार पंजी/वितरण पंजी का सतत निरीक्षण का आदेश दिया गया, ताकि विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी न किया जा सके।

जिला सचिव प्रमोद प्रभाकर के अनुरोध पर पंचायत स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा इस विषय पर संज्ञान लेते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित रूप से पंचायत स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजन का निदेश दिया गया एवं बैठक की कार्यवाही कार्यालय में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। पंचायत स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निदेश देने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि एवं कम मात्रा में खाद्यान्न आपूर्ति की शिकायत पर बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकरी को निदेश दिया गया कि जिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के क्षेत्र में इस ढंग की शिकायत जांच की कम में आयेगी उनके विरूद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता द्वारा निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करना संबंधित प्र0आ0पदा0 की व्यक्तिगत जबाबदेही निर्धारित की जाती है।

अध्यक्ष द्वारा गोदाम से डोर-स्टेप डिलेवरी के तहत अनाज से लदा गाड़ी पर बैनर एवं जी0पी0एस0 सिस्टम लगाने का परिवहन अभिकर्त्ता को निदेश दिया गया। सहायक गोदाम प्रबंधक, सिंहेश्वर द्वारा खाद्यान्न के उठाव एक सप्ताह से बंद रखने पर इसे गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में जिला पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रतिवेदन भेजने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष द्वारा सभी प्र0आ0पदा0 को अपने क्षेत्र के संबंधित सा0वि0प्र0वि0 के दुकान के बाहर बोर्ड लगवाने का निदेश दिया गया एवं बोर्ड पर स्थायी रूप से खाद्यान्न का दर पेन्ट से करवाने का निदेश दिया गया।

भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल कुमार द्वारा सूचित किया गया कि मुरलीगंज नगर परिषद् वार्ड नं0-09 के लाभुक जो अपना राशन किरासन श्री महादेव भगत से लेना चाहते हैं उन्हें प्र0आ0पदा0 द्वारा महेश भगत से जोड़ दिया गया है। अध्यक्ष ने प्र0आ0पदा0, मुरलीगंज को मामले की जांच कर आम हित एवं लाभुक की सुविधा के अनुसार विधि-सम्मत् कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा ऐसे लाभुक जिनका किसी कारणवश राशन कार्ड खो गया है, यदि उनका नाम सूची में दर्ज हो तो उन्हें राशन/किरासन की आपूर्ति नियमित रूप से करवाना सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित प्र0आ0पदा0 को दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा प्रतिनियुक्त सभी गाड़ी में जी0पी0एस0 सिस्टम का कनैक्सन अनुमंडल कार्यालय के कम्पयूटर से करने का निदेश श्री नागेश्वर मंडल प्र0आ0पदा0 कुमारखंड को दिया गया, ताकि कार्यालय से परिवहन कार्य में प्रतिनियुक्त गाड़ी का पर्यवेक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जा सके।

3. <u>किरासन तेल-</u>

बैठक में उपस्थित सभी किरासन तेल थौक विक्रेताओं को ससमय निर्धारित दर एवं मात्रा में ज0वि0प्र0 विक्रेताओं को नोजल से तेल आपूर्ति करने का निदेश दिया गया। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पूर्व की भाँति पुराना राशन कार्ड तथा सूची के आधार पर किरासन तेल वितरण करने का निदेश दिया गया।

सी0पी0आई जिला सचिव, श्री प्रमोद प्रभाकर ने सूचित किया कि नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में कार्यरत ठेला भेंडर तेल का उठाव कर कब और कहाँ वितरण करते हैं इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उन्होंनें सुझाव दिया कि प्रत्येक वार्ड में निगरानी समिति का गठन कर उनके देख-रेख में तेल का वितरण सुनिश्चित किया जाय। अध्यक्ष द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी प्र0आ0पदा0 को निदेश दिया गया कि वार्ड में निगरानी समिति का गठन कर तेल का वितरण सुनिश्चित किया जाय एवं सभी ठेला भेंडर को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में ड्राम को बदलकर नया ड्राम रंग-रोगन के साथ अनुज्ञप्ति संख्या सहित रखकर तेल का वितरण किया करें।

बैठक में उपस्थित कुछ सदस्यों द्वारा शिकायत की गई कि विक्रेता द्वारा कम वजन का नापना का प्रयोग कर उपभोक्ताओं को तेल आपूर्ति की जाती है। अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्र0आ0पदा0 को औचक निरीक्षण कर विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये तेल को पुनः अच्छे नपना से तौल कर जांच करने का निदेश दिया गया।

4. अन्यान्य-

अध्यक्ष द्वारा सभी प्र0आ0पदा0 को माह अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक का अनाज का आवंटन/उठाव/वितरण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अन्त मे अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न की गयी एवं अगली बैठक की तिथि 30.06.2015 निर्धारित की गयी।

अनुमण्डल पदाधिकारी
-सह-
अध्यक्ष,
अनुमण्डल अनुश्रवण समिति,
मधेपुरा।
30/05/15

ज्ञापांक 331-7 / दिनांक 30/05/15

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल अनुश्रवण समिति सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सहायक गोदम प्रबंधक, मधेपुरा/मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल पदाधिकारी
-सह-
अध्यक्ष,
अनुमण्डल अनुश्रवण समिति,
मधेपुरा।
30/05/15